सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक सं0 530 /जोन–10/स0वि0प्रा0/2018–19 दिनांक: 1/10/18

श्री सुबोध गुलाटी एंव श्री शिवपूरण गुलाटी
निवासी– गिल कॉलोनी,
सहारनपुर।

आपके मानचित्र **370/16–17** के संदर्भ में आपके प्रस्तावित व्यवसायिक व आवासीय ग्रुप हाउसिंग का निर्माण जो मौहल्ला/कालोनी **खसरा नं0–109/1 ग्राम मिलक वाजिउदीनपुर, दिल्ली यमनोत्री मुख्य मार्ग, सहारनपुर** पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती हैं :–

01 यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध हैं।
02 मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
03 नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के भवन से सम्बन्धित सुरक्षा मानको का पूर्णतयाः पालन करने की जिम्मेदारी स्वामी की होगी, तथा जान–माल की सुरक्षा का भी स्वामी द्वारा ध्यान रखा जायेगा।
04 प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर तथा किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जयेगा।
05 जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही हैं, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय हैं।
06 यदि भविष्य में मानचित्र पर शुल्कों की देयता बनती है, तो पक्ष को देनी होगी।
07 उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
08 स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
09 आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
10 निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
11 प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
12 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
13 निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर हीटिंग संयत्र भी स्थपित करना होगा।
14 भवन के ऊपर अथवा प्रॉगण में मोबाइल टॉवर स्थापित नही कराया जायेगा।
15 निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
16 निर्माण कार्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा।
17 निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटैक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम–पता व मोबाइल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
18 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
19 भवन निर्माण करते समय प्लीन्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
20 अपार्टमेन्ट एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
21 रेरा में पंजीकरण कराकर ही अपार्टमेन्ट का विक्रय/विज्ञापन किया जायेगा।
22 आन्तरिक विकास कार्य के प्रस्तुत आगणन की धनराशि के बराबर बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी।
23 योजना में लिफ्ट इन्स्टालेशन के पश्चात विद्युत सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
24 प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
25 भूखण्ड के पीछे की साइड की चकरोड का प्रयोग/उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

01/10/2018

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर